सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	फाल्गुन 13, मंगलवार, *शाके* 1941–मार्च 03, 2020 *Phalguna 13, Tuesday, Saka 1941–March 03, 2020*	

भाग-1(क)

नियुक्तियों छुटिटयों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियां ।

उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 20, 2020

संख्या एफ 89(6)उ.मा.वि./उ.सं./2006-v:- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 68) की धारा 10 (1क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार द्वारा चयन समिति की अभिशंषा के आधार पर **श्री मलार खान मंगलिया पुत्र श्री हसन खान मंगलिया** को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जैसलमेर का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त करती है:-

उपरोक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगी:-

1. जिला मंच के पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में यह नियुक्ति कार्यभार संभालने की तिथि से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने अथवा अन्य आदेश तक जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिये होगी।
2. चूंकि **श्री मलार खान मंगलिया** एडवोकेट पूर्व में किसी राजकीय सेवा में सेवारत नही रहे है इसलिए वित्त (नियम) विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति आई डी संख्या 221100636 दिनांक 28.04.2011 के आधार पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के दौरान जिला न्यायाधीश को देय एन्ट्रीलेवल (Entry Level) वेतनमान (51550-1230-58930-1380-63070) न्यूनतम मूल्य वेतन तथा उक्त वेतन पर जिला न्यायाधीश (Entry Level) को देय अन्य भत्ते देय होंगे।
3. जिला मंच के पूर्णकालिक अध्यक्ष को नियुक्ति अवधि के दौरान कोई वेतन वृद्धि देय नही होंगी।
4. पूर्णकालिक अध्यक्ष के पद पर नियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति राज्य सरकार के प्रत्येक कार्य दिवस में जिला मंच कार्यालय में अनिवार्य होगी। राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवानिवृत अधिकारियों को अध्यक्ष जिला मंच के रूप में कार्य करने के दौरान राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत सेवानिवृत कार्मिकों को पुनः नियुक्ति पर देय अवकाश की भाँति, अवकाश देय होंगे। स्वीकृत अवकाश के अतिरिक्त किसी कार्य दिवस को अनुपस्थित रहने की स्थिति में ऐसे अनुपस्थित दिवस हेतु वेतन देय नहीं होगा।
5. जिला मंच के अध्यक्ष को आर.एच.जे.एस. में अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने के बाद मंच की बैठकों में आने व जाने का यात्रा या अन्य किसी व्यय का पुनर्भरण नहीं किया जावेगा तथापि विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 89(29)खा.वि./उ.सं./2004 दिनांक 16.09.2014 के अनुसरण में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान के अधीन जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष

मंच के अध्यक्ष पद पर नियुक्त सेवानिवृत्त आर.एच.जे.एस. अधिकारी को पूल वाहन/किराये के वाहन की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होने की शर्त पर 2500/- रूपये (अक्षरे राशि रूपये दो हजार पांच सौ मात्र) प्रतिमाह वाहन भत्ता देय होगा।

6. जिला मंच के अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अध्यधीन सरकारी यात्रा पर ऐसे यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे जो राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारी को देय है।
7. वर्तमान में नियुक्त अध्यक्ष को वर्तमान पदस्थापन के अलावा अन्य जिला मंच में चयन समिति की अभिशंषा पर प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरित किया जा सकेगा या अपने कार्य के अतिरिक्त अन्य जिला मंच के कार्य को भी संपादित करने के लिए राज्य आयोग के परामर्श से अधिकृत किया जा सकेगा।
8. जिला मंच के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति का; अगर वह अभिभाषक है, कार्यभार संभालने की तिथि से पूर्व एवं नियुक्ति अवधि के दौरान तक की अवधि के लिये अपनी सनद (रजि. प्रमाण-पत्र) को अनिवार्य रूप से स्थगित/निलंबित कराना होगा और इस अवधि के दौरान वे अभिभाषक की हैसियत से कार्य (प्रेक्टिस) करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
9. जिला मंच के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति अवधि के दौरान कोई लाभ का पद अथवा अन्य नियुक्ति ग्रहण नहीं करेंगे। यदि पूर्व से ही किसी लाभ के पद अथवा सेवा में नियोजित हो; तो वे इस प्रकार के पद अथवा नियुक्ति पर जारी (Continue) नहीं रहेंगे।
10. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले निबंधन एवं शर्तों का जिला मंच में नियुक्त अध्यक्ष पालन करेंगे।
11. जिला मंच के अध्यक्ष को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये उपभोक्ता संरक्षण (राजस्थान) नियम, 1987 के प्रावधान के अनुसार पद से हटाया जा सकता है।
12. जिला मंच के अध्यक्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम/नियम के अन्तर्गत एवं अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग राजस्थान जयपुर, उपभोक्ता संरक्षण तथा राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे।
13. जिला मंच के अध्यक्ष की सेवा की अन्य निबन्धन एवं शर्तें समय-समय पर संशोधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं उपभोक्ता संरक्षण (राजस्थान) नियम, 1987 के प्रावधान अनुसार विनियमित होगी।
14. जिला मंच के अध्यक्ष के रूप में कार्यग्रहण करने से पूर्व नियुक्त व्यक्ति द्वारा उपभोक्ता संरक्षण (राजस्थान) नियम 1987 के नियम 3 (4) बाबत दो प्रतियों में वचन-पत्र पेश करना होगा, जिसकी एक प्रति रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से राज्य सरकार को भेजी जायेगी।
15. उक्त नियुक्ति आदेश के क्रम में नियुक्त किए गए अध्यक्ष को जिला स्तरीय राजकीय चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड से स्वयं का फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त कर कार्यग्रहण से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

16. उक्त नियुक्ति आदेश के क्रम में नियुक्त किये गये अध्यक्ष को अधिसूचना जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में जिला मंच अध्यक्ष के रूप में अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर इस कार्यालय को और रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर को तत्काल अवगत कराना होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,
सिद्धार्थ महाजन,
शासन सचिव (उपभोक्ता मामले)

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।